[1][Section 110 : President and Members of Appellate Tribunal, their qualification, appointment, conditions of service, etc.

---

1 Section 110 substituted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to substitution it read as under:

"Section 110 : President and Members of Appellate Tribunal, their qualification, appointment, conditions of service, etc.

(1) A person shall not be qualified for appointment as—

(a) the President, unless he has been a Judge of the Supreme Court or is or has been the Chief Justice of a High Court, or is or has been a Judge of a High Court for a period not less than five years;

(b) a Judicial Member, unless he—

(i) has been a Judge of the High Court; or

(ii) is or has been a District Judge qualified to be appointed as a Judge of a High Court; or

(iii) is or has been a Member of Indian Legal Service and has held a post not less than Additional Secretary for three years;

(c) a Technical Member (Centre) unless he is or has been a member of Indian Revenue (Customs and Central Excise) Service, Group A, and has completed at least fifteen years of service in Group A;

(d) a Technical Member (State) unless he is or has been an officer of the State Government not below the rank of Additional Commissioner of Value Added Tax or the State goods and services tax or such rank as may be notified by the concerned State Government on the recommendations of the Council with at least three years of experience in the administration of an existing law or the State Goods and Services Tax Act or in the field of finance and taxation.

(2) The President and the Judicial Members of the National Bench and the Regional Benches shall be appointed by the Government after consultation with the Chief Justice of India or his nominee:

Provided that in the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or otherwise, the senior most Member of the National Bench shall act as the President until the date on which a new President, appointed in accordance with the provisions of this Act to fill such vacancy, enters upon his office:

Provided further that where the President is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the senior most Member of the National Bench shall discharge the functions of the President until the date on which the President resumes his duties.

(3) The Technical Member (Centre) and Technical Member (State) of the National Bench and Regional Benches shall be appointed by the Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of such persons and in such manner as may be prescribed.

(4) The Judicial Member of the State Bench or Area Benches shall be appointed by the State Government after consultation with the Chief Justice of the High Court of the State or his nominee.

(5) The Technical Member (Centre) of the State Bench or Area Benches shall be appointed by the Central Government and Technical Member (State) of the State Bench or Area Benches shall be appointed by the State Government in such manner as may be prescribed.

(6) No appointment of the Members of the Appellate Tribunal shall be invalid merely by the reason of any vacancy or defect in the constitution of the Selection Committee.

(7) Before appointing any person as the President or Members of the Appellate Tribunal, the Central Government or, as the case may be, the State Government, shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interests which are likely to prejudicially affect his functions as such President or Member.

(8) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the President, State President and the Members of the Appellate Tribunal shall be such as may be prescribed:

Provided that neither salary and allowances nor other terms and conditions of service of the President, State President or Members of the Appellate Tribunal shall be varied to their disadvantage after their appointment.

(9) The President of the Appellate Tribunal shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment.

(10) The Judicial Member of the Appellate Tribunal and the State President shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment.

(11) The Technical Member (Centre) or Technical Member (State) of the Appellate Tribunal shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment.

(12) The President, State President or any Member may, by notice in writing under his hand addressed to the Central Government or, as the case may be, the State Government resign from his office:

Provided that the President, State President or Member shall continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice by the Central Government, or, as the case may be, the State Government or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

(13) The Central Government may, after consultation with the Chief Justice of India, in case of the President, Judicial Members and Technical Members of the National Bench, Regional Benches or Technical Members (Centre) of the State Bench or Area Benches, and the State Government may, after consultation with the Chief Justice of High Court, in case of the State President, Judicial Members, Technical Members (State) of the State Bench or Area Benches, may remove from the office such President or Member, who—

(a) has been adjudged an insolvent; or

(1) A person shall not be qualified for appointment as-

(a) the President, unless he has been a Judge of the Supreme Court or is or has been the Chief Justice of a High Court;

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of such Government involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such President, State President or Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such President, State President or Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the President, State President or the Member shall not be removed on any of the grounds specified in clauses *(d)* and *(e)*, unless he has been informed of the charges against him and has been given an opportunity of being heard.

(14) Without prejudice to the provisions of sub-section (13),—

(a) the President or a Judicial and Technical Member of the National Bench or Regional Benches, Technical Member (Centre) of the State Bench or Area Benches shall not be removed from their office except by an order made by the Central Government on the ground of proved misbehaviour or incapacity after an inquiry made by a Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India on a reference made to him by the Central Government and of which the President or the said Member had been given an opportunity of being heard;

(b) the Judicial Member or Technical Member (State) of the State Bench or Area Benches shall not be removed from their office except by an order made by the State Government on the ground of proved misbehaviour or incapacity after an inquiry made by a Judge of the concerned High Court nominated by the Chief Justice of the concerned High Court on a reference made to him by the State Government and of which the said Member had been given an opportunity of being heard.

(15) The Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of India, may suspend from office, the President or a Judicial or Technical Members of the National Bench or the Regional Benches or the Technical Member (Centre) of the State Bench or Area Benches in respect of whom a reference has been made to the Judge of the Supreme Court under sub-section (14).

(16) The State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, may suspend from office, a Judicial Member or Technical Member (State) of the State Bench or Area Benches in respect of whom a reference has been made to the Judge of the High Court under sub-section (14).

(17) Subject to the provisions of article 220 of the Constitution, the President, State President or other Members, on ceasing to hold their office, shall not be eligible to appear, act or plead before the National Bench and the Regional Benches or the State Bench and the Area Benches thereof where he was the President or, as the case may be, a Member."

(b) a Judicial Member, unless he-

(i) has been a Judge of the High Court; or

(ii) has, for a combined period of ten years, been a District Judge or an Additional District Judge;

(c) a Technical Member (Centre), unless he is or has been a member of the Indian Revenue (Customs and indirect Taxes) Service, Group A, or of the All India Service with at least three years of experience in the administration of an existing law or goods and services tax in the Central Government, and has completed at least twenty-five years of service in Group A;

(d) a Technical Member (State), unless he is or has been an officer of the State Government or an officer of the All India Service, not below the rank of Additional Commissioner of Value Added Tax or the State goods and services tax or such rank, not lower than that of the First Appellate Authority, as may be notified by the concerned State Government, on the recommendations of the Council and has completed twenty-five years of service in Group A, or equivalent, with at least three years of experience in the administration of an existing law or the goods and services tax or in the field of finance and taxation in the State Government:

Provided that the State Government may, on the recommendations of the Council, by notification, relax the requirement of completion of twenty-five years of service in Group A, or equivalent, in respect of officers of such State where no person has completed twenty-five years of service in Group A, or equivalent, but has completed twenty-five years of service in the Government, subject to such conditions, and till such period, as may be specified in the notification.

(2) The President, Judicial Member, Technical Member (Centre) and Technical Member (State) shall be appointed or re-appointed by the Government on the recommendations of a Search-cum-Selection Committee constituted under sub-section (4):

Provided that in the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or otherwise, the Judicial Member or, in his absence, the senior-most Technical Member of the Principal Bench shall act as the President until the date on which a new President, appointed in accordance with the provisions of this Act to fill such vacancy, enters upon his office:

Provided further that where the President is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Judicial Member or, in his absence, the senior-most Technical Member of the Principal

Bench, shall discharge the functions of the President until the date on which the President resumes his duties.

(3) While making selection for Technical Member (State) of a State Bench, first preference shall be given to officers who have worked in the State Government of the State to which the jurisdiction of the Bench extends.

(4) **(a)** The Search-cum-Selection Committee for Technical Member (State) of a State Bench shall consist of the following members, namely:

(i) the Chief Justice of the High Court in whose jurisdiction the State Bench is located, to be the Chairperson of the Committee;

(ii) the senior-most Judicial Member in the State, and where no Judicial Member is available, a retired Judge of the High Court in whose jurisdiction the State Bench is located, as may be nominated by the Chief Justice of such High Court;

(iii) Chief Secretary of the State in which the State Bench is located;

(iv) one Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary of the State in which the State Bench is located, as may be the nominated by such State Government, not in-charge of the Department responsible for administration of State tax; and

(v) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary of the Department responsible for administration of State tax, of the State in which the State Bench is located [2]Member Secretary; and

(b) the Search-cum-Selection Committee for all other cases shall consist of the following members, namely:-

(i) the Chief Justice of India or a Judge of Supreme Court nominated by him, to be the Chairperson of the Committee;

(ii) Secretary of the Central Government nominated by the Cabinet Secretary-Member;

(iii) Chief Secretary of a State to be nominated by the Council-Member;

(iv) one Member, who-

(A) in case of appointment of a President of a Tribunal, shall be the outgoing President of the Tribunal; or

(B) in case of appointment of a Member of a Tribunal, shall be the sitting President of the Tribunal; or

(C) in case of the President of the Tribunal seeking reappointment or where the outgoing President is

unavailable or the removal of the President is being considered, shall be a retired Judge of the Supreme Court or a retired Chief Justice of a High Court nominated by the Chief Justice of India; and

(v) Secretary of the Department of Revenue in the Ministry of Finance of the Central Government-Member Secretary.

(5) The Chairperson shall have the casting vote and the Member Secretary shall not have a vote.

(6) Notwithstanding anything contained in any judgment, order, or decree of any court or any law for the time being in force, the Committee shall recommend a panel of two names for appointment or reappointment to the post of the President or a Member, as the case may be.

(7) No appointment or re-appointment of the Members of the Appellate Tribunal shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution of the Search-cumSelection Committee.

(8) Notwithstanding anything contained in any judgment, order, or decree of any court or any law for the time being in force, the salary of the President and the Members of the Appellate Tribunal shall be such as may be prescribed and their allowances and other terms and conditions of service shall be the same as applicable to Central Government officers carrying the same pay:

Provided that neither the salary and allowances nor other terms and conditions of service of the President or Members of the Appellate Tribunal shall be varied to their disadvantage after their appointment:

Provided further that, if the President or Member takes a house on rent, he may be reimbursed a house rent higher than the house rent allowance as are admissible to a Central Government officer holding the post carrying the same pay, subject to such limitations and conditions as may be prescribed.

(9) Notwithstanding anything contained in any judgment, order, or decree of any court or any law for the time being in force, the President of the Appellate Tribunal shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment for a period not exceeding two years.

(10) Notwithstanding anything contained in any judgment, order, or decree of any court or any law for the time being in force, the Judicial Member, Technical Member (Centre) or Technical Member (State) of the Appellate Tribunal shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years,

whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment for a period not exceeding two years.

(11) The President or any Member may, by notice in writing under his hand addressed to the Government, resign from his office:

Provided that the President or Member shall continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice by the Government or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

(12) The Government may, on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee, remove from the office President or a Member, who-

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such President or Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such President or Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the President or the Member shall not be removed on any of the grounds specified in clauses (d) and (e), unless he has been informed of the charges against him and has been given an opportunity of being heard.

(13) The Government, on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee, may suspend from office, the President or a Judicial or Technical Member in respect of whom proceedings for removal have been initiated under sub-section (12).

(14) Subject to the provisions of article 220 of the Constitution, the President or other Members, on ceasing to hold their office, shall not be eligible to appear, act or plead before the Principal Bench or the State Bench in which he was the President or, as the case may be, a Member.**]**

[1][धारा 110 : अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हता, नियुक्ति सेवा की शर्तें आदि

---

1 वित अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 110 प्रतिस्थपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। प्रतिस्थपन से पूर्व यह इस प्रकार था :

"धारा 110 : अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हता, नियुक्ति सेवा की शर्तें आदि

(1) कोई व्यक्ति,–

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो या कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीन हो या रहा हो;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह,–

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; या

(ii) ऐसा जिला न्यायाधीश हो या रहा हो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है; या

(iii) भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो रहा हो और उसने अपर सचिव का पद कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण किया हो;

(ग) तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क) सेवा समूह 'क' का सदस्य हो या रहा हो और उसने समूह 'क' में कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(घ) तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह राज्य सरकार का मूल्य वर्धित कर या राज्य माल और सेवा कर के कम से कम अपर आयुक्त की रैंक का हो या रहा हो या ऐसी रैक का हो या रहा हो जो परिषद् की सिफारिशों पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और उसके पास किसी विद्यमान विधि या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या वित्त और कराधान के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

(2) राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यू, त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से कोई रिक्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पीठ का ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में नए अध्यक्ष की नियुक्ति न कर दी जाए और वह कार्यभार ग्रहण न कर ले :

परन्तु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां राष्ट्रीय पीठ का ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन तब तक करेगा, जब तक अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं कर लेता है।

(3) सरकार, राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठो के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और तकनीकी सदस्य (राज्य) की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करेगी।

(4) राज्य सरकार राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उसके नामनिर्देशिती के साथ परामर्श के पश्चात् करेगी।

(5) राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (राज्य) राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में नियुक्त किए जाएंगे जो विहित की जाए।

(6) अपील अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या इसके गठन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(7) किसी व्यक्ति की अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिसके कारण अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(8) अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों और न ही सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन किए जाएंगे।

(9) अपील अधिकरण का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी हो, पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(10) अपील अधिकरण का न्यायिक सदस्य और राजय अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे और वे पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

(11) अपील अधिकरण का तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य) अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(12) अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या कोई सदस्य, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संबोधित अपनी हस्ताक्षरयुक्त लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या कोई सदस्य, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि का अवसान होने तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने तक या अपनी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वत्तम हो, पद धारण करता रहेगा।

(13) राष्ट्रीय न्यायपीठ, प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों या राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्यों (केन्द्रीय) की दशा में केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् और राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के राज्य अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (राज्य) की दशा में राज्य सरकार के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी,–

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें ऐसी सरकार के मत में नैतिक अध्मता अंतर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कृत्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए है, जिससे ऐसे अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभावों के पड़ने की संभावना है;

(ड.) जिसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

परन्तु अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्य को, खंड (घ) और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।

(1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं होगा,–

(क) अध्यक्ष के लिए, जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो;

(ख) न्यायिक सदस्य के लिए, जब तक कि वह–

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो; या

(ii) दस वर्ष की संयुक्त अवधी के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न रहा हो;

(ग) एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय), जब तक वह केन्द्रीय सरकार में विद्यमान विधि या माल और सेवा कर के प्रशासन में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क) सेवा, समूह क या अखिल भारतिय सेवा का सदस्य नहीं हो या नहीं रहा हो और उसने समूह क में कम से कम पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो;

(घ) एक तकनीकी सदस्य (राज्य), जब तक वह मूल्य संवर्धित कर या राज्य माल और सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त या ऐसी पंक्ति, जो प्रथम अपील प्राधिकारी, जैसा

---

(14) उपधारा (13) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना–

(क) राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष या न्यायिक और तकनीकी सदस्य, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) को, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को किए गए प्रतिनिर्देश पर उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च्वतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच के पश्चात्, दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने के आधार पर जिसके संबंध में अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुने जाने का अवसर दिया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जाएगा;

(ख) राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (राज्य) को राज्य सरकार द्वारा संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को किए गए प्रतिनिर्देश पर उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच के पश्चात् जिसके संबंध में अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुने जाने का अवसर दिया गया हो दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने के आधार पर अध्यक्ष या उक्त आदेश द्वारा जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जाएगा।

(15) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष या किसी ऐसे न्यायिक या तकनीकी सदस्य या राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) के संबंध में जिसके लिए उपधारा (14) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिनिर्देश कियाा गया है, पद से निलंबित कर सकेगी।

(16) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के किसी ऐसे न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य जिसके संबंध में उपधारा (14) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिनिर्देश किया गया है, पद से निलंबित कर सकेगी।

(17) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अध्यधीन, अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या अन्य सदस्य, उनके द्वारा पद धारण करना छोड़ने पर राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठों या राज्य न्यायपीठ और उनकी क्षेत्रीय न्यायपीठों, जहां वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य था, के समक्ष उपस्थित होने, कार्य या अभिवाक् करने के लिए पात्र नहीं होगा।"

संबंध राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए, से अन्यून पंक्ति का राज्य सरकार का अधिकारी या अखिल भारतिय सेवा का अधिकारी नहीं है या नहीं रहा है और उसने विधिमान विधि या माल और सेवा कर अथवा राज्य सरकार में वित्त और कराधान के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ समूह क या समतुल्य सेवा में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो;

परंतु राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा समूह क या समतुल्य सेवा में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अपेक्षा, ऐसे राज्य, जहां किसी व्यक्ति नें समूह क या समतुल्य में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो, परंतु उसने सरकार में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, के अधिकारियों की बाबत् ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी अवधि तक, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, शिथिल कर सकेगी।

(2) अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य, (केन्द्रीय) और तकनीकी सदस्य (राज्य) सरकार द्वारा उपधारा (4) के अधीन गठित खोज–सह–चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त या पुनः नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु अध्यक्ष के पद पर, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से हुई किसी रिक्त की दशा में, प्रधान पीठ का न्यायिक सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, अध्यक्ष के पद पर उस तारीख तक कार्य करेगा, जिस तारीख तक, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त, कोइ नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परंतु यह और कि जहा अध्यक्ष, अनुपस्थिति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनें कृत्यों का निर्वहन करनें में असमर्थ है, वहां प्रधान पीठ का न्यायिक सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिस तारीख तक, अध्यक्ष अपने कृत्यों को ग्रहण कर लेता है।

(3) राज्य न्यायपीठ के तकनीकी सदस्य, (राज्य) का चयन करते समय, ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने उस राज्य की राज्य सरकार में कार्य किया है, जिस पर न्यायपीठ की अधिकारिता का विस्तार है।

(4) **(क)** राज्य न्यायपीठ के लिए तकनीकी सदस्य, (राज्य) के लिए खोज–सह–चयन समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः–

(i) उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति, जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, समिति का अध्यक्ष होगा।

(ii) उस राज्य का ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य और जहां कोई न्यायिक सदस्य उपलब्ध नहीं है, वहां उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, जिसे उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए :

(iii) उस राज्य का मुख्य सचिव, जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है,

(iv) उस राज्य जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, का एक अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, जो राज्य कर के प्रशासन के लिये उत्तरदायित्व विभाग का भारसाधक नहीं है जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए : और

(v) उस राज्य जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, के राज्य कर के प्रशासन के लिये उत्तरदायित्व विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए : और

(ख) अन्य सभी मामलों के लिए खोज–सह–चयन समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः–

(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, समिति का अध्यक्ष होगा :

(ii) मंत्रिमंड़ल सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट कें‍द्रीय सरकार का सचिव–सदस्य :

(iii) परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला राज्य का मुख्य सचिव–सदस्य :

(iv) एक सदस्य, जो ,–

(अ) अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का पद छोड़ने वाला अध्यक्ष होगा : या

(आ) अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का पीठासीन अध्यक्ष : या

(इ) पुनर्नियुक्ति चाहने वाले अध्यक्ष की दशा में या जहां पद छोड़ने वाला अध्यक्ष अनुपलब्ध है या जहां अध्यक्ष के हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायमूर्ति होगा : और

(v) केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव–सदस्य सचिव।

(5) अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार होगा और सदस्य सचिव को मताधिकार नहीं होगा।

(6) किसी न्यायालय किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समिति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिये दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(7) अपील अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि खोज–सह–चयन समिति में कोई रिक्ति है या उनके गठन में कोई त्रुटि है।

(8) किसी न्यायालय किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में

अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यो का वेतन ऐसा होगा, जो विहित किया जाए और उनके भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार के समान वेतनधारी अधिकारियों को लागू होती है :

परंतु अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात न तो उनके वेतन और भत्तों में और न ही अन्य निबंधनो और शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि अध्यक्ष या सदस्य कोइ घर किराए पर लेता है, उसे ऐसी सीमाओं और शर्तों, जो विहित की जाए, के अध्यधीन रहते हुए, समान वेतनधारी पदों को धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को अनुज्ञेय मकान किराया भत्ते से अधिक मकान किराया की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

(9) किसी न्यायालय किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपील अधिकरण का कोई अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए या सडसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हों, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(10) किसी न्यायालय किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपील अधिकरण का कोई न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य, (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य, (राज्य), उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है चार वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो भी पहले हों, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(11) अध्यक्ष या कोइ सदस्य, सरकार को संबाध्ति करते हुए, लिखित सूचना द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, सरकार द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान तक या उसके उत्तराधिकारी के रुप में सम्यक् रुप से नियुक्त व्यक्ति के पद धारण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(12) सरकार खोज–सह–चयन समिति की सिफारिशें पर, अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, जो,–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रुप में कार्य करने की शारीरिक रुप से या मानसिक रुप से शैथिल्य हो गया है ; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे उसके ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रुप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ड.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है :

परंतु जहां किसी अध्यक्ष या सदस्य को, खंड (घ) और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी आाधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसके विरूध्द लगाए गए आरोपों से संसूचित नहीं कर दिया गया हो और सुनवाई का अवसर ना दे दिया गया हो।

(13) सरकार, खोज–सह–चयन समिति की सिफारिशों पर, अध्यक्ष या किसी न्यायिक या तकनीकी सदस्य को, जिसक संबंध में उपधारा (12) के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई है उसके पद से विलंबित कर सकेगी।

(14) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधो के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, उसके पद पर नहीं बने रहने पर, प्रधान न्यायपीठ या राज्य न्यायपीठ, जिसमें वह यथा यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य था, के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करनें का पात्र नहीं होगा।**]**